


(भारत के राजपत्र, भाग-1, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

सं. 5/17/2007- केन्द्र सरकार ने 912.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) नामक स्कीम अनुमोदित की है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम का लक्ष्य भारतीय चमड़ा क्षेत्र में कच्चे माल के आधार को बढ़ाना, क्षमता में वृद्धि करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना, मानव संसाधन विकास, निवेश आकर्षित करना तथा भारतीय चमड़े का वैश्विक आधार पर विपणन करना है।


2. दिनांक 29 अगस्त, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा जारी किए गए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत घटकों का ब्यौरा अधिसूचना के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है।


(आर.के. मलिक)
निदेशक

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।
सं. 5/17/2007 नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव (राज्य/संघ शासित क्षेत्र)
2. विषय-निर्वाचन समिति के सदस्य
3. सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय
4. सचिव, व्यय विभाग
5. सदस्य सचिव, योजना आयोग
6. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के महालेखाकार।
7. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
8. मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
9. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
10. कार्यकारी निदेशक, सी.एल.ई., चेन्नई
11. निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
12. प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान, नोएडा।
13. अध्यक्ष, इंडियन फुटवियर कम्पोनेन्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोशिएशन, नोएडा।
14. विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, ल.उ. तथा कृ. एवं ग्रा. उ. मंत्रालय
15. बजट तथा लेखा अनुभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
16. मानक सूची के अनुसार आंतरिक परिचालन।


(फरीदा एम. नाईक)
अवर सचिव, भारत सरकार